उत्तर प्रदेश शासन
पर्यटन अनुभाग-1
संख्या- **298**/2025/1076/41-1-2025-CN-1752690-2023
लखनऊ:दिनांक: 26 मार्च,2025

शुद्धि-पत्र

जनपद रामपुर में स्थित प्राचीन शिव मंदिर नवाबगंज के पर्यटन विकास कार्यके सम्बन्ध में पर्यटन अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश के शासनादेश संख्या-263/2025/798/41-1-2025-001-CN-1752690-2023, दिनांक 21मार्च 2025 केप्रस्तर-3 में **''तृतीय किश्त''** के स्थान पर **''द्वितीय किश्त''**एतद्द्वारा अंकित किया जाता है।

2- तदनुसार सन्दर्भगत शासनादेश दिनांक 21मार्च, 2025 उक्त सीमा तक संशोधित समझा/पढ़ा जाय। शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. जिलाधिकारी, रामपुर।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. निदेशक, कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
6. निदेशक, उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (UPNEDA), लखनऊ।
7. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8. उप निदेशक, पर्यटन, बरेली/मुरादाबाद मण्डल, बरेली।
9. क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी (राज्य योजना), पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
11. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in